फाइल नं0-71-1001(099)/10/2021

105/2023/I/344155/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 05 जुलाई, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के पत्र संख्या-एसपीएस/2022-23/2448-50, दिनांक 15.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 827.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-58/2022/I/157419/2022-71-1001(099)/10/2021, दिनांक 19.04.2022 द्वारा निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-64/2022/I/161221/2022-71-1001(099)/10/2021, दिनांक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 413.63 लाख एवं शासनादेश संख्या-9/2023/I/265974/2023-71-1001(099)/10/2021, दिनांक 24.01.2023 द्वारा रू0 268.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 681.63 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में एस0टी0पी0/ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1882.37 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाली संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
3. पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव का गठन विस्तृत आगणन के अनुसार वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है, जिसमें वर्क डन की लागत मूल स्वीकृत लागत के समान एवं वर्क टू बी डन कार्यो की लागत लोक निर्माण विभाग अद्यतन अनुसूची दर, उ0प्र0 जल निगम की अनुसूची दर वर्ष 2022, एस0डब्लू0एस0एम0 की दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 की दरेां के आधार पर किया गया है।
4. प्रायोजना प्रस्ताव में वर्क डन कार्यो पर 12 प्रतिशत एवं वर्क टू बी डन पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
5. प्रयोजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
6. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
7. प्रायोजनान्तर्गत ई0टी0पी0 प्लांट के तीन वर्ष तक परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए रू0 97.06 लाख की लागत प्रस्तावित की गयी है, जिसे प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परामर्श दिया गया है कि सुसंगत नियमों के अंतर्गत प्रायोजना के परिचालन एंव अनुरक्षण के सम्बन्ध में पृथक से समिति गठित करके अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही/क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत परिचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, आगरा मेडिकल कालेज, आगरा में ई0टी0पी0 प्लांट के तीन वर्ष तक परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए वह स्थानीय स्तर पर समिति का गठन करें। अनुरक्षण एवं परिचालन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित लागत रू0 97.06 लाख के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई0टी0पी0 प्लांट के संचालन में आवश्यक धनराशि की दरें प्राप्त करें (यह दरें निविदा अथवा रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर हो सकती है)। प्राप्त दरों के आधार पर मूल निर्माता फर्म को 03 वर्ष के लिए तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर धनराशि का भुगतान करें। उक्त धनराशि का भुगतान राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 29-अनुरक्षण मद से किया जाए।
9. प्रायोजना के अंतर्गत आर0ओ0 प्लांट आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
11. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों का यथावत मानते हुए किया गया है , जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य केा सम्मिलित करना , कार्यो के आकार में वृद्धि एंव अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना एंव कार्यक्रम के अंतर्गत न स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना एंव कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
15. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
16. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
17. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
18. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे , जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
19. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
20. बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
21. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
22. संबंधित परियोजना के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
23. कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-56/दस-2023-24, दिनांक 04 जुलाई, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, सी0एण्ड डी0एस0 नलकूप विंग, यूनिट-।।, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।